



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126677

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 23297 वर्ष 2026

जय सिंह यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आलोक कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया गया।
2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत वर्तमान आवेदन दिनांक 06.01.2026 के समन आदेश को निरस्त करने के साथ-साथ थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज से संबंधित परिवाद मुकदमा संख्या- 3996 वर्ष 2024 (सत्यम द्विवेदी बनाम जय सिंह यादव), अंतर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, जो कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 4, इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए सभी तर्क तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं। न्यायालय से यह भी मांग की गई है कि वह अभियोजन के साक्ष्यों के गवाही/प्रमाणक मूल्य का निर्णय करे और विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक विवरणों की विभिन्न जटिलताओं

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के आधार पर उसका मूल्यांकन करे। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सामग्री की सत्यता और ईमानदारी पर सवाल उठाया गया है और झूठा फंसाए जाने की दलील दी गई है।

4. मैंने दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच., 2010(5) एससीसी 663 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों के आलोक में अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है, जो इस प्रकार हैं:-

"17. हाल ही में प्रकाशित एक कमेंटरी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, 'सम थॉट्स टुवर्ड्स लॉ रिफॉर्म्स ऑन द टॉपिक ऑफ सेक्शन 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-टैकलिंग एन एवालांश ऑफ केसेज (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर]:

"...अपराध के अन्य रूपों के विपरीत, यहाँ दी जाने वाली सजा (जहाँ तक परिवादी का संबंध है) प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन के भुगतान को सुनिश्चित करने का एक साधन मात्र है। परिवादी का हित मुख्य रूप से चेक के लेखक को जेल में देखने के बजाय अपने पैसे की वसूली करने में निहित होता है। जेल की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उस अभियुक्त के विरुद्ध जो जेल की सजा काटने के लिए तैयार है, चेक के धारक के पास उपाय के रूप में बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं।

यदि हम दायर की गई उन परिवादों की संख्या की जांच करें जो एक तरफ अंतिम निर्णय से पहले 'समझौता' या 'तय' हो गई और दूसरी तरफ वे मामले जो निर्णय और दोषसिद्धि तक पहुंचे, तो हम पाएंगे कि बड़ा हिस्सा सुलझा लिया गया था और केवल एक बहुत छोटी संख्या ही आगे जारी रही।"

18. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चेक बाउंस होने के अपराध के संबंध में, उपाय के प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा उठाई गई आशंकाओं को इस बात से भी कुछ समर्थन मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामलों में वास्तव में शमन के माध्यम से समझौता या निपटारा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जा रहा है, हालांकि यह मुकदमेबाजी के बाद के चरणों में होता है जिससे न्याय वितरण में अनुचित देरी होती है। यहाँ समस्या मुकदमेबाजों की उस प्रवृत्ति के साथ है जिसके तहत वे अपने विवाद को सुलझाने के साधन के रूप में देर से शमन का विकल्प चुनते हैं।

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान अटॉर्नी जनरल की दलील यह है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षकार मजिस्ट्रेटों द्वारा परिवादों का संज्ञान लेने के तुरंत बाद शमन का विकल्प चुनने के बजाय इसे अंतिम उपाय के रूप में चुन रहे हैं। ऐसे आचरण का एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुजरने का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं और समझौते का रास्ता तभी चुनते हैं जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। हालांकि मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से ऐसा आचरण तर्कसंगत माना जा सकता है, परंतु कड़वी सच्चाई यह है कि शमन का विकल्प चुनने में होने वाली अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों के समक्ष लंबित बकाए/मामलों के बोझ में योगदान करती है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन के माध्यम से निपटारा या समझौता करने के लिए तैयार है, तो यह आम तौर पर परिवादी के मामले में कुछ मेरिट होने का संकेत देती है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों के दौरान ही शमन का विकल्प चुनें। हालांकि, यदि अभियुक्त के पास कोई वैध बचाव है जैसे कि गलती, जालसाजी या जबरदस्ती आदि, तो मामले की सुनवाई विनिर्दिष्ट मंचों के माध्यम से की जा सकती है।"

5. उपरोक्त के आलोक में, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दलील पूरी तरह से सुस्थापित है।

6. अतः यह निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकता है और समझौते के माध्यम से अपराध के शमन की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा आवेदन दिए जाने पर संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकता है और अभियुक्त को इस दिशा में प्रयास करने के लिए और अवसर प्रदान

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करेगा, जो आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसके पश्चात, न्यायालय आज से पांच महीने की अवधि के भीतर विशेष रूप से शीर्ष अदालत द्वारा **दामोदर एस. प्रभु** (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित करेगा।

7. यदि आवेदन के आलोक में दिए गए न्यायालय के निर्णय से अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त नहीं होती है और उन्हें आगे उपस्थित होने तथा विचारण का सामना करने की आवश्यकता होती है, तो न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध कानून के अनुसार आगे बढ़ने और कानून सम्मत उनकी उपस्थिति सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपरोक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में दिए गए निर्णय तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक या बलपूर्वक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अभियुक्त द्वारा निर्धारित समय अवधि में इस आदेश का लाभ नहीं उठाया जाता है, तो समय बढ़ाने के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में यह आदेश केवल उसी अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से इस न्यायालय में धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

11. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

10 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।